

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मुकेश पुत्र सरजनराम जाति जाट निवासी चक मण्डोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 723/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1395


आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम चक मण्डोली पटवार हल्का मण्डोली तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 250, 251 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "मुकेशकुमार पुत्र सरजनराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मुकेश पुत्र सरजनराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)